न्यायालय सब जज–तृतीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

टी0 एस0 सं0–697/2023

कृष्णा देवी – वादिनी

बनाम्

अजय सिंह वगैरह – प्रतिवादीगण

26.05.2025

प्रस्तुत आवेदन दिनांक–28.02.2024 वादिनी के द्वारा अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी. के अतर्गत निषेधाज्ञा हेतु दाखिल किया गया है जिसमें निवेदन किया गया है कि मुदईया ने प्रस्तुत मुकदमा अम्बिका सिंह के द्वारा फरीक सोयम के नाम से दिनांक–17.06.1990 को वजूद में लाया गया बक्सीसनामा दस्तावेज बिल्कुल जाली फरेबी इनआपरेटिव इनइंफेक्टिव बिना दादसिद्दत के नाजायज वो शून्य दस्तावेज है डिक्लेयर करने हेतु दाखिल किया है साथ ही साथ अपने हिस्से के बंटवारा हेतु दाखिल किया है। विवादग्रस्त एराजी की मौरूसी एराजी है जिसमें मुदई का हिस्सा 1/9 है। विवादग्रस्त एराजी फरीकैन संयुक्त रूप से दखल कब्जे में है वो सुविधा के अनुसार अपनी–अपनी खेती बारी करते हैं। मुदालेह फरीक सोयम ने अम्बिका सिंह यादव से एक जाली फरेबी बक्सीसनामा तहरीर करा लिए हैं जिसका कभी भी अमल बरामद आज तक नहीं हुआ है। उपरोक्त मुकदमा में प्रतिवादीगण के विरूद्ध नोटिस जाने के बावजूद अभी तक उपस्थित नहीं हुए है। मुदालेह फरीक सोयम को जब उपरोक्त मुकदमा की जानकारी होने के बाद बक्सीसनामा के आधार पर दावा करने लगी है तथा बेदखल करने का प्रयास करते रहते हैं। मुदालेह फरीक सोयम गांव में हल्ला भी करना शुरू कर दिए है कि विवादित एराजी जमीमा नं0–2 को तहस नहस कर देंगे तथा मुदईयान को खेती बारी नहीं करने देंगे तथा बेदखल कर देंगे वो दुसरे व्यक्ति को बिक्री कर देंगे। प्राइमाफेसी केस मुदई के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी मुदई के पक्ष में है। न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया जाता है तो मुदई को अपूरणीय क्षति होगी जो किसी रूप से क्षतिपूर्ति नहीं किया जा सकता है। अतः निवेदन है कि मुदई के दखल कब्जा में दस्तंदाजी करने तथा किसी दीगर के हाथ ट्रांसफर करने से खेती बारी में व्यवधान उत्पन्न करने से ताफैसला मुदालेहम फरीक सोयम को रोक दिया जाए।

उपरोक्त आवेदन के आलोक में वादिनी के द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल कर निवेदन किया गया है कि आवेदन वादिनी कानूनन मेंटेनेबुंल नहीं है। आवेदन वादिनी बबयानात गलत वो खिलाफ असलियत के सिर्फ मुदालेहम को तंग एवं परेशान करने की नियत से तथा मुकदमा में उलझाये रखने की नियत से दाखिल किया गया है। वादिनी के पक्ष में कोई प्राइमाफेसी केस नहीं है वो सुविधा का संतुलन भी मुदालेहम के पक्ष में है वो निषेधाज्ञा नहीं होने से वादिनी की कोई क्षति नहीं होने जा रही है। मुकदमा में दिनांक–14.08.2024 को बयान तहरीरी दाखिल किया गया है जिसे भी इस जबाव का अंश माना जाए। वादिनी ने वर्तमान वाद अम्बिका सिंह के द्वारा प्रतिवादी फरीक सोयम दुल्हिन शैल कुमारी देवी के पक्ष में किए गए बक्सीसनामा को चाईलेंज किया है तथा बंटवारा हेतु मुकदमा दाखिल किया है। वादिनी ने जान बुझकर वंशावली में राजदेव सिंह की पुत्रियों वो परशुराम सिंह की पुत्री को वंशावली में छुपा दिया है तथा उन्हें पक्षकार भी नहीं बनाया है। बाद मरने राम दहिन सिंह के उनके तीनों पुत्रों तलास सिंह वो कपिल सिंह वो अम्बिका सिंह के बीच सभी पैतृक जगह जायदाद का मुस्तकिल बंटवारा लगभग 50 साल पहले से हो चुका है वो कोई एराजी संयुक्त नहीं है। अम्बिका सिंह ने बहुत सा एराजीयात अपने निजी तौर पर अपने नाम से खरीदा वो महाराजा डुमरांव से हासिल किया है जिसका भी खतियान अम्बिका सिंह के नाम से बना है वो अम्बिका सिंह अपनी हक हिस्से की पैतृक एराजी जो बंटवारा से मिली थी वो खरीदगी एराजी जो उनकी निजी खास हकियती वो दखल कब्जा में था जिससे कोई सरोकार तलास सिंह वो कपिल सिंह को कभी नहीं रहा। अम्बिका सिंह का सेवा टहल देखभाल शुरू से दीनानाथ सिंह वो उनकी पत्नी शैल कुमारी देवी करती थी चूंकि अंबिका सिंह को कोई अपना लड़का–लड़की नहीं था वो अंबिका सिंह शै कुमारी देवी के सेवा टहल से वो देख भाल से खुश होकर अपनी निजी खरीदगी एराजी वो डुमरांव महाराज से हासिल एाजी जो खास हकियत वो दखल कब्जा में थी उसका दिनांक–17.08.1990 को ही मु0 शैल कुमारी देवी पति दीनानाथ को चक खाता 33, चक प्लाट 4431 में 01 एकड़ 55 डी0 जिसका सर्वे खाता 809 सर्वे प्लाट 5508 वो चक खाता 423 चक प्लाट 4065 में 01 एकड़ 1–1/3 डी0 तलास सिंह के सटे पूरब जिसका खाता 645 प्लाट नं0 5460/5771

वो चक प्लाट 4193 में 75–1/3 डी0 तलास सिंह के सटे उत्तर वो चक प्लाट 4421 में 01 एकड़ 4–2/3 डी0 तलास सिंह के सटे पूरब वो चक प्लाट 4310 में 21–2/3 डी0 तलास सिंह के सटे पूरब निबंधित बक्सीसनामा से बक्सीस कर दिये वो दखल कब्जा दे दिये, जिस पर शैल कुमारी दी का तनहा हकीयत वो दखल कब्जा चला आता है। अंबिका सिंह के कहने से बक्सीसनामा पर बलिराम सिंह ने उनके निशान का पहचान किया वो अपना गवाही बनाया, अलावे इसके काशीनाथ सिंह ने भी अंबिका सिंह के कहने से उक्त बक्सीसनामा पर गवाही बनया। जो एराजी तलास सिंह, कपिल सिंह वो अंबिका सिंह ने दिनांक–28.03.1973 को अपना–अपना पैसा मिला कर शंकर दयाल सिंह से वो दिनांक–09.07.1994 को वो दिनांक–21.06.1961 को वो दिनांक–21.06.1961 को काशीनाथ सिंह से खरीद किया था उसका भी आपसी सहमति से तीन जगह बंटवारा कर लिया जिस पर अंबिका सिंह अपने हिस्से पर काबिज दाखिल थे। अंबिका सिंह ने अपने निजी तौर पर दिनांक–21.08.1979 को महादेव दत्त पाण्डेय वो गणेश दत्त पाण्डेय पिता महेश्वर पाण्डेय से एराजी खरीद किया था जो उनकी निजी थी। अंबिका सिंह ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिनांक–17.01.1962 को महाराजा कुमार कमल सिंह से 01 एकड़ 25 डी0 एराजी खरीद किया वो सभी खरीदगी एराजी का आपसी बंटवारा तलास सिंह वो अंबिका सिंह वो कपिल सिंह के बीच आपसी सुविधा के मुताविक हो चुका है वो जो एराजी अंबिका सिंह के खास हकियत वो दखल कब्जा में थी उसको सही तरीके से अंबिका सिंह ने प्रतिवादी फरीक सोयम शैल कुमारी देवी को सही तरीके से बक्सीस कर दिया। तलास सिंह ने दिनांक–26.06.1963 को शशि भूषण सिंह वगैरह से खरीद किया था जिसका खतियान खाता 38, मौजा कुल्हवा का तलास सिंह के नाम से बन चुका है वो उस एराजी को मुकदमा में शामिल नहीं किया गया है। चूँकि बाद मरने तलास सिंह के उनके तीनों पुत्र इन्द्रदेव सिंह, ब्रहमदेव सिंह वो राजदेव सिंह ने आपसी बंटवारा करके अलग–अलग दखल कब्जा में चले आते है वो मौजा पुराना भोजपुर में अवस्थित खाता नं0 429 का खतियान तनहा तलास सिंह के नाम से बना है जो भी मुकदमा में शामिल नहीं है। बाद बक्सीसनामा के शैल कुमारी देवी के नाम से दाखिल खारिज होकर रसीद कटना है। चक खाता 809 चक खाता 33 अंबिका सिंह की निजी खरीदगी एराजी थी जिससे कोई सरोकार रामदहिन सिंह के वंशजों को नहीं है वो चक खाता 809 वो चक खाता 33 पर कभी कोई कहीयत या कब्जा रामदिन सिंह के वंशजों का

नहीं था बल्कि वह अंबिका सिंह का था। विवादग्रस्त एराजी का बंटवारा हो चुका है वो कोई एराजी संयुक्त नहीं है। वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन मेरिटलेस है वो काबिल होने खारिज के है। अतः निवेदन है कि वादिनी द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक–28.02.2024 को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी के द्वारा यह वाद बख्शीशनामा दिनांक 17.06.1990 को शुन्य घोषित कराने हेतु तथा पैतृक संपति के बॅटवारें हेतु लाया गया हैं पुनः आवेदनकर्ता का निवेदन हैं कि विवादग्रस्त भूमि पर सभी पक्षकारों का संयुक्त रूप से दखल कब्जा हैं एवं सुविधा के अनुसार अपनी खेती बारी करते हैं। किन्तु प्रतिवादी पक्ष सं0 3 के द्वारा अंबिका सिंह यादव वगैरह से जाली फरेबी बख्शीशनामा करवा लिए हैं। जबकि विवादग्रस्त भूमि संयुक्त एराजी भूमि हैं।

प्रतिवादी के द्वारा उपरोक्त आवेदन का विरोध इस आधार पर किया गया हैं अंबिका सिंह एवं उनके अन्य दो भाईओं के मध्य बॅटवारा लगभग 50 वर्ष पूर्व हो चुका हैं साथ ही साथ अंबिका सिंह के द्वारा बहुत सारी भूमि अपनी निजी तौर पर खरीद की गई हैं तथा महाराजा डुमरॉव से प्राप्त हैं तथा अंबिका सिंह के द्वारा किए गए बख्शीशनामा पर बलिराम सिंह एवं काशीनाथ सिंह के द्वारा हस्ताक्षर भी बनाया गया हैं तथा विवादित भूमि से संबंधित चकखाता सं0 809 का सिर्जन अंबिका सिंह के नाम पर हुआ हैं ऐसी परिस्थिति में वादी का प्रथम दृष्टया वाद बनता प्रतीत नहीं होता हैं अतः वादी का निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाता हैं।

अगली तिथि–..... वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–तृतीय